उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग–4
संख्या–991/30–4–2012–346/95
लखनऊः दिनांकः 07 नवम्बर, 2012

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी सभी अधिसूचनाओं एवं शासनादेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष को मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों एवं माल गाड़ियों हेतु अधिकतम् किराये की दरें अवधारित करने का निदेश देते हैं।

2– राज्यपाल अग्रत्तर निदेश देते हैं कि अधिकतम् किराया निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अवधारित किया जायेगाः–

(क) ठेका गाड़ियों के लिये – $\frac{\text{क+ख}}{\text{ख}}$

(ख) मंजिली गाड़ियों के लिये – $\text{क}+\frac{\text{ख}}{\text{ग}}$

(ग) मालयानों के लिये – $\text{क}+\frac{\text{ख}}{\text{घ}}$

उक्त सूत्र में –
"क" का तात्पर्य – वर्तमान किराया।
"ख" का तात्पर्य – प्रति कि0मी0 संचालन लागत में वृद्धि।
"ग" का तात्पर्य – औसत लोड फैक्टर के अनुसार यात्रियों की संख्या।
"घ" का तात्पर्य – मालयानों की औसत लोड क्षमता कुन्तल में ।

स्पष्टीकरण– संचालन लागत में वृद्धि की गणना के प्रयोजन हेतु संचालन लागत में केवल ईंधन एवं वेतन/भत्ते सम्मिलित होंगे।

3– राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष दो बार जनवरी एवं जुलाई में उपर्युक्त सूत्र के अनुसार किराये का अवधारण करेंगे।

आज्ञा से,

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।